NDPS एक्ट के उल्लंघन के सम्बन्ध में मिली जानकारी के उपरान्त की जाने वाली कारवाई सम्बंधित SOP

A. NDPS एक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध निम्नांकित पदाधिकारियों को कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गयी है

1. किसी भी समय, किसी बिल्डिंग, वाहन या किसी व्यक्ति के निजी मकान/जगह पर एंट्री करने/तलाशी लेने/जप्त एवं गिरफ्तारी करने के लिए **उत्पाद अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक तथा उनके ऊपर के रैंक के पदाधिकारी को अपने कनीय पदाधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति प्रदान की गयी है**। प्राधिकृत किये गए पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय (दिन या रात में) किसी भी निजी स्थल पर जाकर एंट्री करने/तलाशी लेने/जप्त एवं गिरफ्तारी करने की कार्रवाई की जा सकती है I (धारा 41(2), SO 882)
2. सूर्योदय से सूर्यास्त की अवधि में (दिन में) बिना वारंट या प्राधिकार के उत्पाद निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं ड्रग निरीक्षक तथा उनके ऊपर के रैंक के पदाधिकारी को किसी बिल्डिंग, वाहन या किसी व्यक्ति के निजी मकान/जगह पर एंट्री करने/तलाशी लेने/जप्त एवं गिरफ्तारी करने के लिए शक्ति प्रदान किया गया है किया गया है I (धारा 42(1), SO 880)
3. सूर्यास्त से सूर्योदय की अवधि में (रात में) बिना वारंट या प्राधिकार के **पुलिस, राजस्व, ड्रग नियंत्रण एवं उत्पाद विभाग के कोई भी पदाधिकारी** किसी बिल्डिंग, वाहन या किसी व्यक्ति के निजी मकान/जगह पर एंट्री करने/तलाशी लेने/जप्त एवं गिरफ्तारी करने की कार्रवाई उस परिस्थिति में कर सकते हैं कि अगर छापामारी अविलम्ब नहीं किया गया तो अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थ को आसानी से छुपा लिया जायेगा तथा अभियुक्त के भागने की सुविधा मिल जाएगी I परन्तु रात्रि में जिन कारणों से ऐसी छापामारी बिना वारंट या प्राधिकार के किया गया उसके कारण को स्पष्ट रूप से लिखित रूप में प्रविष्टि करना है तथा अप्नेवारिया पदाधिकारी को इस सम्बन्ध में किये गए प्रविष्टि सहित 72 घंटे अन्दर अपने वरीय पदाधिकारी को भेजना है I (धारा 42(2))
4. उत्पाद **विभाग के पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनके ऊपर रैंक के पदाधिकारी एवं ड्रग निरीक्षक तथा उनके ऊपर के रैंक के पदाधिकारी** को भी थाना प्रभारी के **अनुसंधान करने की शक्ति** प्रदान की गयी है I (धारा 53, SO 879)
5. **किसी भी सार्वजनिक स्थान पर** जैसे, होटल, दूकान, सार्वजनिक वाहन और ऐसी कोई जगह जहाँ कोई पब्लिक के लिए ACCESSIBLE हो उन जगहों पर **किसी भी पुलिस, राजस्व, ड्रग नियंत्रण एवं उत्पाद विभाग के पदाधिकारी द्वारा जप्ती एवं गिरफ्तारी की कारवाई कर सकता है** I (धारा 43, धारा 42 के साथ पठित)
6. इसी प्रकार अवैध रूप से अफीम एवं गांजे की खेती से सम्बंधित कारवाई परिस्थिति अनुसार धारा 41/42/43 के तहत की जा सकती है I (धारा 44)
7. अवैध रूप से अफीम एवं गांजे की खेती की कुर्की (ATTACHMENT) तथा वैसे खेतों को नष्ट करने का आदेश न्यायिक दंडाधिकारी के अतिरिक्त **पुलिस, राजस्व, ड्रग नियंत्रण एवं उत्पाद विभाग के राजपत्रित पदाधिकारी** के द्वारा निर्गत किया जा सकता है I (धारा 48)
8. धारा 42 के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा NDPS के परिवहन सम्बंधित वाहनों को किसी भी जगह रोका जा सकता है (धारा 49)
9. किसी भी संदेही के शरीर की तलाशी लेने से पूर्व धारा 41/42/43 के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा संदेही को इस बात को लिखित रूप से अवगत कराएगा कि उसके शरीर की तलाशी राजस्व, औषिधि नियंत्रण, उत्पाद एवं पुलिस

विभाग के राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष करने का प्रावधान है, अगर वो चाहे तो उसे राजस्व, औषिधि नियंत्रण, उत्पाद एवं पुलिस विभाग के राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष ले जाया जायेगा।

10. अगर संदेही अपनी तलाशी राजस्व, औषिधि नियंत्रण, उत्पाद एवं पुलिस विभाग के राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष करने का अनुरोध करता है तो संदेही को राजस्व, औषिधि नियंत्रण, उत्पाद एवं पुलिस विभाग के राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष ले जा कर शरीर की तलाशी लेना आवश्यक है। (धारा 50(1))
11. अगर संदेही राजस्व, औषिधि नियंत्रण, उत्पाद एवं पुलिस विभाग के राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष ले जाने का अनुरोध नहीं करता है तो प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा एक अनापत्ति पत्र लिखित रूप से संदेही से प्राप्त करेगा कि – "मुझे अपने शरीर की तलाशी राजस्व, औषिधि नियंत्रण, उत्पाद एवं पुलिस विभाग के राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं" तो उसके आधार पर स्वयं प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा संदेही के शरीर की तलाशी ली जाएगी। (धारा 50(1))
12. किसी भी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा संदेही के शरीर की तलाशी वैसी परिस्थिति में, राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष ले जाये बगैर, तब भी ली जा सकती है जब पदाधिकारी को ऐसा लगे कि राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष ले जाने से पूर्व संदेही अपने शरीर में छुपाये NDPS को अपने शरीर से अलग कर सकता है, फ़ेंक सकता है या किसी भी तरीके से नष्ट कर सकता है। लेकिन इस परिस्थिति को कारण सहित प्रविष्टि की जाएगी एवं वरीय पदाधिकारी को 72 घंटे में की गई प्रविष्टि सहित सूचित किया जायेगा। ((धारा 50(5) एवं (धारा 50(6))

B. <u>गुप्त सूचना मिलने पर राजस्व / औषिधि नियंत्रण / उत्पाद / पुलिस विभाग के पदाधिकारी के द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कारवाई</u>

1. गुप्त सूचना को विस्तृत रूप से कलमबद्ध किया जायेगा
2. गुप्त सूचना के सम्बन्ध में की गई प्रविष्टि सहित सूचना वरीय पदाधिकारी को दी जाएगी ताकि आवश्यकता अनुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा सके।
3. आवश्यकता अनुसार प्राधिकार पत्र सक्षम पदाधिकारी से मंगाना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्राधिकार पत्र में प्राधिकृत व्यक्ति की अध्यक्ता में छापामारी टीम का गठन करेंगे।
5. दिन में अगर बंद जगह / किसी के निजी स्थल में छापामारी की आवश्यकता है तो <u>बिना वारंट या प्राधिकार के उत्पाद निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं ड्रग निरीक्षक तथा उनके ऊपर के रैंक के पदाधिकारी</u> द्वारा <u>छापामारी की जा सकती है</u>। इनसे निम्न कोटि के पदाधिकारी जैसे पुलिस अवर निरीक्षक द्वारा ऐसी छापामारी दिन में करने के लिए वारंट या प्राधिकार लेना आवश्यक है।
6. रात्रि में अगर बंद जगह / किसी के निजी स्थल में अविलम्ब छापामारी की आवश्यकता है तो पुनः कारण दर्शाते हुए इस बात की प्रविष्टि की जाएगी कि रात्री में किस परिस्थिति में ये छापामारी बिना वारंट या प्राधिकार के की जा रही है। सम्बंधित कारण को प्रविष्टि सहित 72 घंटे के अन्दर वरीय पदाधिकारी को लिखित रूप से सम्बंधित सूचना दी जाएगी।
7. अगर सूचना किसी सार्वजनिक स्थल से सम्बंधित है तो थाना दैनिकी में प्रविष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक स्थल पर **<u>किसी भी पुलिस, राजस्व, ड्रग नियंत्रण एवं उत्पाद विभाग के पदाधिकारी द्वारा जप्ती एवं गिरफ्तारी की कारवाई कर सकता है</u>**।
8. आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग के सरकारी कर्मियों को गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है।

9. आवश्यकता अनुसार सबसे नजदीकी **<u>पुलिस, राजस्व, ड्रग नियंत्रण या उत्पाद विभाग के राजपत्रित पदाधिकारी</u>** को बुलाया जा सकता है। या उन्हें पूर्व सूचना दी जा सकती है कि आवश्यकता हुआ तो अभियुक्त को आपके समक्ष लाया जायेगा। नजदीकी राजपत्रित पदाधिकारी सहयोग देने के लिए बाध्य है। (धारा 56)

C. <u>प्राधिकार पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम पदाधिकारी के लिए अपेक्षित कारवाई</u>

1. लिखित सूचना प्राप्त होते ही प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे। सम्बंधित पदाधिकारी, जैसे थाना प्रभारी को अधिकारिक ईमेल पर प्राधिकार पत्र भेजेंगे। प्राधिकार पत्र में स्पष्ट निर्देश देंगे कि किस पदाधिकारी के अध्यक्षता में टीम का गठन किया जाना है।

D. <u>घटनास्थल पर प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार ले जाने वाली सामग्री</u>

1. WELL-CALLIBERRATED इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (मादक पदार्थ तौलने के लिए)
2. DRUG DETECTION किट
3. थाना प्रभारी का अधिकारिक सील
4. सील करने हेतु आवश्यक सामग्री / लाह / माचिस / लिफाफा / मोमबत्ती / पलसीक का छोटा बॉक्स
5. पेन/ पेपर/कार्बन/राइटिंग पैड /स्टेप्लर
6. आवश्यकता अनुसार लैपटॉप /प्रिंटर
7. सूचना अनुसार ले जाने वाली अन्य सामग्री ..... ETC

E. <u>घटनास्थल पर की जाने वाली कारवाई –</u>

1. प्रयास करें कि छापामारी सम्बंधित की गई कार्रवाई की फुल वीडियोग्राफी हो।
2. घटनास्थल पर पहुँचने के साथ दो स्वतंत्र गवाह को बुलाना।
3. अगर प्राधिकार पत्र उपलब्ध हो तो उसे उस व्यक्ति को दिखाना जिसके घर में तलाशी ली जानी है।
4. छापामारी दल/तलाशी टीम के सभी सदस्य की तलाशी घरवालों को देना।
5. घर की तलाशी लेने के क्रम में मादक द्रव्य जैसे पदार्थ मिलने पर उसकी पुष्टि उस व्यक्ति से करना जिसके घर से मादक द्रव्य बरामद हुआ हो।
6. मादक पदार्थ का तौल किसी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से करना।
7. अगर DD किट (DRUG DETECTION KIT) उपलब्ध हो तो मादक पदार्थ की थोड़ी मात्र लेकर उसका केमिकल टेस्ट करना।
8. केमिकल टेस्ट करने के उपरान्त बचे हुए मादक द्रव्य का पुनः तौल करना।
9. घर में जिस कमरे में जिस जगह, बक्से इत्यादि से मादक पदार्थ बरामद हुआ हो, उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए तलाशी सह जप्ती सूची तैयार करना।
10. शरीर की तलाशी लेने से पूर्व उस व्यक्ति को जिसके शरीर की तलाशी लेनी है, मौखिक एवं लिखित रूप से एक नोटिस देना है कि उन्हें यह अधिकार है कि वे किसी राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष अपनी तलाशी दे सकते हैं।
11. अगर वह व्यक्ति ऐसा चाह रहा है तो उस व्यक्ति को तब तक देतें किया जा सकता है जब तक उसे राजपत्रित पदाधिकारी य मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश न कर दिया जाये।

12. अगर वह व्यक्ति लिखित रूप से यह कहता है कि आप मेरी तलाशी ले सकते हैं मुझे राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष तलाशी देने की आवश्यकता नहीं है तो वैसी परिस्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी तलाशी ले सकता है।
13. उसके उपरान्त वजन करने एवं केमिकल टेस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।
14. फिर सभी अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार करना है, गिरफ्तारी ज्ञाप तैयार करना है ।
15. घटनास्थल पर ही की गई कारवाई का एक मेमोरेंडम तैयार करना है।

F. <u>घटनास्थल से वापस थाना आने के बाद की कार्रवाई –</u>

1. सर्वप्रथम जप्त किये गए सामानों को मालखाना रजिस्टर में चढ़ाते हुए मालखाना प्रभारी से एक रसीद प्राप्त करना है। गिरफ्तार व्यक्तियों को हाजत मे बंद करना है।
2. जप्ती एवं गिरफ्तारी से सम्बंधित प्रतिवेदन, मेमोरेंडम सहित थाना प्रभारी को देना है। प्राथमिकी सम्बंधित आवेदन देना है।

G. <u>प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कारवाई –</u>

1. काण्ड के अनुसंधान हेतु अविलम्ब एक पदाधिकारी को काण्ड के अनुसंधान की कार्रवाई सौपेंगे। हालाँकि काण्ड का अनुसन्धान SI एवं ASI दोनों कर सकते हैं परन्तु SI रैंक के पदाधिकारी को काण्ड का अनुसंधान देना उचित रहेगा। अगर संभव हो तो अनुसंधानकर्ता **<u>ध्यान रहे अनुसंधानकर्ता छापामारी दल का सदस्य न हो।</u>**
2. थाना प्रभारी को 48 घंटे के अन्दर गिरफ़्तारी, जप्ती सम्बंधित सूचना वरीय पदाधिकारी को देना है।
3. अनुसंधानकर्ता को काण्ड से सम्बंधित सभी कागज़ात जैसे, थाना दैनिकी में प्राप्त सूचना सम्बंधित की गई प्रविष्टि की सत्यापित/ATTESTED प्रति, बिना प्राधिकार पत्र के रात्रि में किये गए छापामारी से सम्बंधित दर्ज किये गए कारण की थाना प्रविष्टि की सत्यापित प्रति (अगर लागू हो), प्राथमिकी, तलाशी टीम का तलाशी मेमो, सभी जप्ती सूची, गिरफ्तारी मेमो, प्राधिकार पत्र की मूल प्रति (अगर लागू हो), घटना स्थल पर तैयार किया गया मेमोरेंडम, धारा 50 के तहत अभियुक्त को दिया गया नोटिस एवं अभियुक्त द्वारा दिया गया लिखित आपत्ति/अनापत्ति पत्र (अगर लागू हो), वरीय पदाधिकारी को जप्ती एवं गिरफ्तारी सम्बंधित धारा 57 के तहत भेजा गया प्रतिवेदन, धारा 50(5) के तहत शरीर की तलाशी ली गयी हो तो उससे सम्बन्ध में दर्शाए गए कारण सम्बंधित की गई प्रविष्टि की सत्यापित प्रति एवं उस प्रविष्टि को वरीय पदास्धिकारी को 72 घंटे के अन्दर भेजने सम्बंधित प्रतिवेदन की प्रति (अगर लागू हो) सहित उपलब्ध कराना है।

H. <u>अनुसंधानकर्ता द्वारा काण्ड के अनुसंधान करने के निर्देश मिलने पर की जाने वाली कार्रवाई</u>

1. गिरफ्तार अभियुक्तों के लिए प्रश्नावली तैयार करना।
2. गिरफ्तार हुए अभियुक्त का प्रश्नावली से मिले जवाब के आधार पर संक्षिप्त स्वीकारोक्ति बयान नोट करना है। यह प्रश्नोत्तर रूप में रह सकता है। इसपर अभियुक्तों का हस्ताक्षर करा लेना है।
3. इसके उपरान्त छापामारी दल के सभी सदस्यों का अलग अलग पन्ने पर बयान अंकित करना है।
4. काण्ड से सम्बंधित सभी मूल कागज़ात जो थाना प्रभारी द्वारा उपलब्ध कराया गया हो, उसकी एक प्रति अनुसंधान हेतु रखना है।

I. <u>अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्तों को 24 घंटे के अन्दर न्यायलय में उपस्थापित करते समय भेजे जाने वाले कागज़ात एवं प्रदर्श</u>

1. अभियुक्तों का अग्रसारण पत्र
2. गिरफ़्तारी ज्ञाप
3. प्राथमिकी
4. धारा 41(2) के तहत प्राधिकार पत्र (अगर लागू हो)
5. घटना स्थल पर तैयार किया गया मेमोरेंडम
6. तलाशी टीम का तलाशी मेमो
7. घर/वाहन/बैग इत्यादि से की गई जप्ती सम्बंधित जप्ती सूची
8. शरीर से की गई जप्ती सम्बंधित जप्ती सूची
9. धारा 50 के तहत अभियुक्त को दिया गया नोटिस एवं अभियुक्त द्वारा दिया गया लिखित आपत्ति/अनापत्ति पत्र (अगर लागू हो),
10. धारा 50(5) के तहत शरीर की तलाशी ली गयी हो तो उससे सम्बन्ध में दर्शाए गए कारण सम्बंधित की गई प्रविष्टि की सत्यापित प्रति एवं उस प्रविष्टि को वरीय पदास्धिकारी को 72 घंटे के अन्दर भेजने सम्बंधित प्रतिवेदन की प्रति (अगर लागू हो)
11. बिना प्राधिकार पत्र के रात्रि में किये गए छापामारी से सम्बंधित दर्ज किये गए कारण की थाना प्रविष्टि की सत्यापित प्रति (अगर लागू हो),
12. धारा 41/42 के तहत प्राप्त सूचना सम्बंधित थाना दैनिकी की प्रविष्टि की सत्यापित प्रति
13. जप्ती एवं गिरफ्तारी सम्बंधित धारा 57 के तहत भेजा गया प्रतिवेदन
14. अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्तों से किए गए पूछताछ के क्रम में तैयार किया गया प्रश्नोत्तर
15. सभी सीलबंद जप्त प्रदर्श
16. मालखाना प्रभारी से सभी सीलबंद प्रदर्शों को प्राप्त करने सम्बंधित अनुसंधानकर्ता द्वारा दिया गया आवेदन एवं प्राप्ति रसीद
17. मालखाना प्रभारी द्वारा अनुसंधानकर्ता को प्रदर्श सुपुर्द करने सम्बंधित दिया गया रसीद
18. सभी सदस्यों का अलग पन्ने पर लिया गया बयान
19. अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य ज्ञाप (संक्षिप्त में)
20. जप्त सभी प्रदर्श
21. अगर अभियुक्त को रिमाण्ड पर लेना हो तो उससे सम्बंधित आवेदन
22. विधि –विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने वाला अभ्यावेदन (48 घंटे के अन्दर जप्त मादक द्रव्य को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने का प्रावधान है) I चरस, हशीश एवं गांजा के लिए 24 ग्राम का सैंपल तैयार करेंगे, बांकी मादक द्रव्य में 5 ग्राम का सैंपल तैयार करेंगे I

<u>J. न्यायलय में अभियुक्तों एवं प्रदर्शो को उपस्थापित करने के उपरान्त थाना वापस आने के बाद की जाने वाली कारवाई</u>

1. जप्त प्रदर्श/सैंपल को थाना मालखाना में विधिवत वापस करेंगे I रसीद प्राप्त करेंगे I
2. लिए गए सैंपल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजना सुनिश्चित करेंगे I
3. मालखाना प्रभारी एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए मैसेंजर का वापस आने पर बयान अंकित करेंगे I

4. मादक द्रव्य माप करने वाले व्यक्ति का बयान अंकित करेंगे I
5. DD किट से जांच करने वाले का बयान अंकित करेंगे I
6. स्वतंत्र साक्षी के बयान की आवश्यकता किसी भी जप्ती में CRPC की धारा 100(5) के तहत नहीं होती है, तो आपके द्वारा जप्ती – सूची के गवाह को छोड़ा भी जा सकता है I
7. विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आये रिपोर्ट को काण्ड दैनिकी में अंकित करेंगे I
8. SMALL एवं MEDIUM QUANTITY में मादक द्रव्य जप्त होने पर 60 दिनों के अन्दर आरोप पत्र समर्पित करेंगे I
9. COMMERCIAL QUANTITY में मादक पदार्थ जप्त होने य दस वर्ष अधिक सजा वाले धाराओं का उल्लंघन होने पर (जैसे धारा 27A) 180 दिन के अन्दर आरोप पत्र समर्पित करेंगे I
10. 180 दिनों में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने पर माननीय न्यायलय में एक वर्ष तक अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में बंद रखने का अनुरोध किया जा सकता है I (धारा 36A(4))
11. अगर अभियुक्त के द्वारा 10 वर्ष से अधिक सजा वाले प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तो NDPS ACT के अध्याय VA के तहत उसके द्वारा अवैध रूप से अर्जित किये गए संपत्ति को विधिवत FORFEIT किया जायेगाI
12. विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आये रिपोर्ट के उपरान्त 30 दिनों के अन्दर न्यायलय से आदेश प्राप्त करके जिला स्तरीय DRUG DISPOSAL COMMITTE से मालखाना में रखे ड्रग को विधिवत dispose किया जायेगा I (धारा 52A)
13. काण्ड में जप्त वाहन, पैसे इत्यादि के विरुद्ध न्यायलय के आदेश से राजसात की कार्रवाई करने हेतु अभ्यावेदन देना अपेक्षित है I (धारा 60 से 63)

K. <u>अन्य कार्रवाई</u>

1. अगर कोई व्यक्ति SMALL QUANTITY के मादक द्रव्य के साथ पकड़ाता है और पकडाया हुआ व्यक्ति यह अनुरोध करता है कि उसके द्वारा स्वेच्छा से DE-ADDICTION के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जायेगा तो वैसे परिस्थिति में उसके विरुद्ध अभियोजन की कारवाई नहीं की जाएगी I (धारा 64A)
2. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को मादक पदार्थ लेते हुए पकडे जाने पर या वैसे बच्चों द्वारा मादक पदार्थ बेचे जाने पर उनके विरुद्ध कारवाई की जाएगी जिनके द्वारा उन्हे मादक द्रव्य का सेवन कराया गया या मादक द्रव्य बेचने पर विवश किया गया I OFFENDER के विरुद्ध JJ ACT की धारा क्रमशः 77 एवं 78 में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी I (पूर्ण प्रक्रिया के लिए झारखण्ड के JJ RULES के रूल क्रमशः 56 एवं 57 देखें)